

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

प्र० फौ० वा० सं० 70/2022

दिव्या पपोला बनाम प्रदीप सिंह पपोला।

धारा-125 द०प्र०सं०

56/07.06.2024

पत्रावली पेश। पुकारा गया। प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दयाकृष्ण काण्डपाल तथा विपक्षी मय विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह कोरंगा न्यायालय उपस्थित। विपक्षी की ओर से सूची गवाहान प्रस्तुत कर, साक्षी डी०डब्ल्यू-1 प्रदीप पपोला का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावलित हो। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की। सुना। स्वीकार।

पत्रावली दिनांक 15.06.2024 को वास्ते जिरह/ शेष साक्ष्य विपक्षी पेश हो।

(ऐश्वर्या बोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।